



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03112020-222928
CG-DL-E-03112020-222928

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3501]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 3, 2020/कार्तिक 12, 1942

No. 3501]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 3, 2020/KARTIKA 12, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 2020

का.आ 3965(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1438(अ) तारीख 08.05.2020 जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 11.05.2020 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर नेचुरल गैस पाइपलाइन एवं स्पर पाइपलाइन के विजयपुर-औरैया पाइपलाइन खंड के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उस में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्देश देती है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा - विजयपुर - जगदीशपुर पाइपलाइन परियोजना विजयपुर से औरैया

राज्य : उत्तर प्रदेश						
जनपद	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल		
				हेक्टेअर - आर - वर्ग मीटर		
1	2	3	4	5		
जालौन	जालौन	बघावली मुस्तकिल	1	00	00	25
			6	00	04	99
			9	00	00	60
			10	00	11	35
			24	00	00	16
			23	00	20	07
			63	00	05	60
			75	00	05	14
			76	00	04	45
			77	00	04	93
			84	00	13	90
			7	00	01	25
			79	00	00	40
झाँसी	मोथ	पुलिया	46	00	29	09
			47	00	05	92

[फा. सं. एल-14014/77/2019-जी पी-II]

राज किशोर, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2020

S.O. 3965(E).—Whereas by notification of Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 1438 (E) dated 08.05.2020 issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extraordinary Gazette of India dated 11.05.2020, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through Vijaipur-

Auraiya Pipeline Section of Hazira-Vijaipur-Jagdishpur Natural Gas Pipeline and Spur Pipeline in the State of Uttar Pradesh;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And Whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted its report to Government of India;

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

HAZIRA- VIJAIPUR - JEGDISHPUR PIPELINE PROJECT VIJAIPUR To AURAIYA

State : Uttar Pradesh

District	Tehsil	Village	Survey No.	Area		
				Hect.	Sq. mtr.	
1	2	3	4	5		
Jalaun	Jalaun	Baghwali Mustaqil	1	00	00	25
			6	00	04	99
			9	00	00	60
			10	00	11	35
			24	00	00	16
			23	00	20	07
			63	00	05	60
			75	00	05	14
			76	00	04	45
			77	00	04	93
			84	00	13	90
			7	00	01	25
			79	00	00	40
Jhansi	Moth	Pulia	46	00	29	09
			47	00	05	92

[F. No. L-14014/77/2019-GP-II]

RAJ KISHORE, Under Secy.